राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 171/2025

छोटू लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ़।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामबास, हनुमानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.01.2025
आदेश की दिनांक : 24.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी आलौच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को प्रतिबंध अवधि में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामबास, हनुमानगढ़ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Kirara Bara, हनुमानगढ़ में काउंसलिंग किए बिना और साथ ही पास के रिक्त पद को दर्शाए बिना स्थानांतरित कर दिया गया था। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 124 पर अंकित है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा शिक्षकों को अपीलार्थी की तरह अधिशेष घोषित करके उनकी पोस्टिंग के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। आदेश दिनांक 14.11.2024 के अनुसार कनिष्ठ उम्मीदवारों को सरप्लस बनाया जा रहा है जबकि वर्तमान मामले में अपीलार्थी सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्हें सरप्लस घोषित किया गया है। आदेश दिनांक 09.10.2020 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को बीएलओ के पद पर नियुक्त किया गया है। दिनांक 29.10.2024 से 06.01.2025 तक स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध है और यदि कोई उम्मीदवार बीएलओ के रूप में पदस्थापित है तो उसे चुनाव अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद स्थानांतरित किया जा सकता है और अपीलार्थी को पूर्व अनुमति के बिना स्थानांतरित किया गया था। अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामबास में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 के पद पर कार्यरत है और विद्यालय में कोई पद रिक्त न होने के

बावजूद उसे अधिशेष घोषित किया गया था और परिपत्र दिनांक 30.04.2015 (अनुलग्नक–5) के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मानदण्डनुसार पद स्वीकृत मानकर मानदण्डों से अधिक कार्यरत शिक्षकों को स्वतंत्र माना जावे। प्रत्यर्थी विभाग ने परिपत्र का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित किया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामबास, हनुमानगढ़ से कार्यमुक्त न करे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)